## -:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.03.2025

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गैर-इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 08 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।**

**विवरण**– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2008 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गैर-इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को 08 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्मने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 08.12.2008 थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन के बाहर सुतरखाना निवासी राजकुमार पुत्र चन्द्रपाल यादव द्वारा थाना कमासिन क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर के रहने वाले संतोष से मारपीट की गई थी जिसमें संतोष गम्भीर रुप से घायल हो गया था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी । इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी सपना की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 1137/08 धारा 304/323/342/354/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन व0उ0नि0 श्री केदार नाथ सिंह द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री देवदत्त मिश्रा द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित राजपूत व महिला आरक्षी रुबी पाल तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 08 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

**अभियुक्त-**

1. राजकुमार पुत्र चन्द्रपाल यादव निवासी सुतरखाना थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

अभियोजक
श्री देवदत्त मिश्रा

विवेचक
श्री केदार नाथ सिंह

कोर्ट मोहर्रिर
आ0 अमित राजपूत

कोर्ट मोहर्रिर
म0आ0 रुबी पाल

पैरोकार
मु0आ0 दिनेश कुमार